न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0

Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 44/16

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र बलजीतसिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी 33 जी जी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखविन्द्रसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी 33 जी जी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. ग्राम पंचायत, चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलजीतसिंह पुत्र स्व0 गुरदयालसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 10 एल एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम,1994

उपस्थित : 1. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता, निगरानीकर्तागण
2. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्त्ता सं0 2

आदेश दिनांक : 31–1–2017

निगरानीकर्ता द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानी के सुसंगत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं0 2 के पिता स्व0 गुरदयालसिंह के नाम से बस स्टैण्ड चूनावढ पर स्थित दुकान नं0 10 व 11 कुल साईज 10 गुणा 15 फीट जिसमें दुकान नं0 10 का साईज 10 गुणा 10 फीट है। पंचायत रेकार्ड में दर्ज होने के कारण दोनों दुकानों का विक्रय करने का अनुबंध विक्रय पत्र दिनांक 8–9–10 द्वारा किया जाकर कब्जा संभाल दिया गया तब से निगरानीकर्तागण काबिज चले आ रहे हैं। गुरदयालसिंह को उसके जीवनकाल में कई बार पंचायत रेकार्ड में निगरानीकर्तागण के नाम अमलदरामद करवाने का आग्रह किया गया तथा गुरदयालसिंह के देहान्त के बाद उसके वारिसान अप्रार्थी सं0 2 से भी आग्रह किया गया तथा उन्होनें कहा कि पंचायत रेकार्ड में दर्ज करवा देगें। दुकान सं0 10 पर कब्जा करने की कौशिश की तो पता चला कि ग्राम पंचायत चूनावढ में दुकान नं0 10 अप्रार्थी सं0 2 ने अपने नाम से करवा ली है। ग्राम पंचायत चूनावढ का प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 5–4–16 पारित करने से पूर्व ना तो प्रभावित पक्षकार को कोई नोटिस दिया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया गया है। न ही आपति सूचना जारी की गई है और न ही पंचायत के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

नोटिस बोर्ड अथवा समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया है। दुकान सं0 10 निगरानीकर्तागण की खरीद शुदा है तथा खरीद की दिनांक 8–9–10 से काबिज चले आ रहे हैं। अप्रार्थी सं0 2 अथवा अन्य किसी को किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थी सं0 2 का कभी कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा कानून अथवा न्यायिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है। निगरानीकृत प्रस्ताव पारित करने से पूर्व न ही कोई जॉच कराई गई और न ही कोई रिपोर्ट ली गई। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से सम्बन्धित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों पर अपनी बहस को आधारित करते हुए कहा है कि अप्रार्थी सं0 2 के पिता स्व0 गुरदयालसिंह के नाम से बस स्टैण्ड चूनावढ पर स्थित दुकान नं0 10 व 11 कुल साईज 10 गुणा 15 फीट जिसमें दुकान नं0 10 का साईज 10 गुणा 10 फीट है। पंचायत रेकार्ड में दर्ज होने के कारण दोनों दुकानों का विक्रय करने का अनुबंध विक्रय पत्र दिनांक 8–9–10 द्वारा किया जाकर कब्जा संभाल दिया गया तब से निगरानीकर्तागण काबिज चले आ रहे हैं। गुरदयालसिंह को उसके जीवनकाल में कई बार पंचायत रेकार्ड में निगरानीकर्तागण के नाम अमलदरामद करवाने का आग्रह किया गया तथा गुरदयालसिंह के देहान्त के बाद उसके वारिसान अप्रार्थी सं0 2 से भी आग्रह किया गया तथा उन्होनें कहा कि पंचायत रेकार्ड में दर्ज करवा देगें। दुकान सं0 10 पर कब्जा करने की कौशिश की तो पता चला कि ग्राम पंचायत चूनावढ में दुकान नं0 10 अप्रार्थी सं0 2 ने अपने नाम से करवा ली है। ग्राम पंचायत चूनावढ का प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 5–4–16 पारित करने से पूर्व ना तो प्रभावित पक्षकार को कोई नोटिस दिया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया गया है। न ही आपति सूचना जारी की गई है और न ही पंचायत के नोटिस बोर्ड अथवा समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया है। दुकान सं0 10 निगरानीकर्तागण की खरीद शुदा है तथा खरीद की दिनांक 8–9–10 से काबिज चले आ रहे हैं। अप्रार्थी सं0 2 अथवा अन्य किसी को किसी प्रकार से प्रश्नगत दुकान को मुन्तकिल नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थी सं0 2 का कभी कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा कानून अथवा न्यायिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है। निगरानीकृत प्रस्ताव पारित करने से पूर्व न ही कोई जॉच कराई गई और न ही कोई रिपोर्ट ली गई। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपने तर्को के समर्थन में 2010(2) आर एल डब्ल्यू 1796 (एस सी) एवं आर आर डी 1993 पेज 502 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं।

गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि इकरारनामा से किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। निगरानीकर्तागण का प्रश्नगत दुकान पर किसी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। दुकान का कब्जा अप्रार्थी सं0 2 के पास है। निगरानी देरी से पेश की गई है तथा देरी के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत का आदेश विधिसम्मत है। निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में 2012(1) डीएनजे (राज0) पेज 506 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत चूनावढ के प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 5–4–16 जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा कयशुदा व कब्जा की दुकान सं0 10 का इंतकाल अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में किया गया है, को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अनुसार निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 6 कार्यवाही रजिस्टर में निम्नानुसार अंकित है :–

" आज ग्राम पंचायत बैठक में एक दुकान का मलबा ट्रांसफर गुरदयालसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह दुकान सं0 10 बस स्टैण्ड पर का मलबा हटाकर कुलजीतसिंह पुत्र गुरदयालसिंह के नाम किये जाने का शपथपत्र प्राप्त हुआ, जिसका अनुमोदन पंचायत बैठक में किया गया "।

उक्त प्रस्ताव जो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5–4–16 को पारित किया गया है, के द्वारा निगरानीधीन दुकान सं0 10 अप्रार्थी सं0 2 कुलजीतसिंह के शपथ पत्र के आधार पर उसके नाम किया जाकर, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन किया गया है।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि अपंजीकृत दस्तावेज से क्रय की गई सम्पति से खरीददार को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस तर्क के खण्डन में निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता का कथन है कि सौ रूपये के स्टाम्प पर निगरानीधीन दुकान क्रय की गई है इसलिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है साथ ही यह भी कहा है कि अंपजीकृत विक्रय विलेख को ग्रहण करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अपने इस तर्क के समर्थन में 2012(2) आर एल डब्ल्यू 1796 (एस0सी0) का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

" 10(क) पंजीकरण अधिनियम, 1908 धारा 49, 71 से 77 सपठित विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, धारा 3 संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ एवं सम्पति पर अपने शांतिपूर्ण कब्जा में विघ्न डालने से प्रतिवादी को अवरूद्ध करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु वाद साक्ष्य में अपंजीकृत विक्रय विलेख की ग्राह्यता – अभिनिर्धारित विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ वाद में साक्ष्य में अपंजीकृत विक्रय विलेख को ग्रहण करने से इन्कार करना विचारण न्यायालय न्याय संगत नहीं था"।

हस्तगत निगरानी में निगरानीधीन दुकान का विक्रय अपंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से हुआ है, जिसमें निगरानीकर्तागण शांतिपूर्ण तरीके से काबिज चले आ हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिवत् सुनवाई किए ग्राम पंचायत के रेकार्ड में निगरानीधीन प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 5–4–16 को शपथ पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दर्ज कर अनुमोदन करना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा सारवान दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि निगरानीधीन दुकान पर उसका कब्जा हो।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानी देरी से पेश की गई है तथा देरी को स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता ने उक्त तर्क का खण्डन करते हुए कहा है कि धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र का काउन्टर शपथ पत्र गैरनिगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क चलने योग्य नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

44
2016 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A6
4

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि आदेश की जानकारी कब हुई तथा कैसे हुई तथा देरी का कारण जो बताया गया है, वह सन्तोषजनक नहीं है। निगरानीकर्तागण ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में स्पष्ट किया है कि निगरानी की दिनांक 7–9–16 से एक सप्ताह पूर्व (गत सप्ताह) अप्रार्थी सं0 2 दुकान पर कब्जा करने की नियत से आया तो रोकने पर कहा कि उसने अपने नाम करवा रखी है। इस पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि पंचायत रेकार्ड में गलत इन्तकाल किया गया है। इस प्रकार, निगरानीकर्तागण द्वारा देरी के कारण को प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया गया है लेकिन अप्रार्थी सं0 2 द्वारा इसके खण्डन में काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता ने इस सम्बन्ध में आर आर डी 1993 पेज 502 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

" A Limitation Act, Section 3- Appeal field alongwith limitation from date of knowledge - N0 counter affidavit or any other evidance adduced by opposite party show that appeal was not within limimtation – Date of knowledge also not disputed- Held , appeal was within limitation and that even application under section 5 was unneccessary. "

वैसे भी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी के लिए परिसीमा निर्धारित नहीं की हुई है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त एवं धारा 97 के अनुसार निगरानी को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिणामस्वरूप, मेरे विनम्र मत में ग्राम पंचायत का निगरानीधीन प्रस्ताव सं0 6 दिनाक 5–4–16 पारित करने में ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, बिना प्रभावित पक्षकार को सुने उक्त प्रस्ताव पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 5–4– 16 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड ग्राम पंचायत को वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 31.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.17

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner